राजस्थान सरकार
कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ–4( )आ.कृ./पौ.सं./तक–2/पंजीयन/2010–11/ दिनांक :

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

विभागीय योजनों के अन्तर्गत कृषिकों को पौध संरक्षण यंत्र/सीड ड्रेसर/फेरोमोन ट्रेप/लाईट ट्रेप अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न निर्माता/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। पंजीयन की शर्ते निम्न प्रकार होगीं :

(1) पौध संरक्षण उपकरण/सीड ड्रेसर जिनके बी.आई.एस. स्पेशीफिकेशन्स निर्धारित है। बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारक/केन्द्रीय/राज्य सरकार से चिन्हित संस्थानों से परीक्षण प्रमाण पत्र धारक निर्माता/आयातक ही पंजीकरण के लिए पात्र होगें।

(2) फेरोमोन ट्रेप/लाईट ट्रेप आयुक्तालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो। निर्धारित मापदण्ड की प्रति कृषि आयुक्तालय के कमरा नं. 185 से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

(3) फर्म द्वारा उपकरण की बिक्री के बाद 12 माह तक निःशुल्क सेवा का निर्धारित प्रपत्र में 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

(4) पंजीकरण प्रक्रिया वर्षभर चालू रहेगी तथा किसी भी तिथि को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। पंजीकरण पत्र की वैद्यता तीन वर्ष अथवा बी.आई.एस. प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि जो भी पहले हो तक लिए मान्य होगी। फेरोमोन ट्रेप/लाईट ट्रेप का पंजीयन एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा लेकिन आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(5) कार्य सम्पादन प्रक्रिया विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

इस पंजीकरण प्रक्रिया हेतु यह अभिरूचि की अभिव्यक्ति निरन्तर प्रभावी रहेगी जब तक की प्रक्रिया में कोई संशोधन न कर दिया जाये। पूर्व में पंजीकृत निर्माताओं को पंजीकरण की वैद्यता अवधि तक पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

पंजीयन की अन्य शर्ते एवं अधिक जानकारी के लिए संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.) (दूरभाष नं. 0141–5116236) कमरा नं. 131, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

आयुक्त, कृषि